

## नष्क्रिय खातों और दावा न की गई जमाराशियों पर RBI के दशा-नरिदेश

### प्रलिस के लयि:

[भारतीय रजिर्व बैंक \(RBI\)](#), नष्क्रिय खाता, जमाकर्ता शक्तिषण और जागरूकता (DEA) नधि, [अपने ग्राहक को जानयि/नो योर कसटमर](#)

### मेन्स के लयि:

उपभोक्ता हति, बैंकगि क्षेत्र की रक्षा में RBI के उपाय

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यो?

[भारतीय रजिर्व बैंक \(RBI\)](#) ने हाल ही में वर्गीकरण तथा सकरयिण प्रक्रयिओं को सुव्यवस्थति करने के उद्देश्य से नष्क्रिय खातों (Inoperative Account) तथा अदावी/दावा न कयि गए जमा (Unclaimed Deposits) के संबंघ में दशा-नरिदेशों को संशोधति कयि है।

- संशोधति दशा-नरिदेश सभी [वाणजियिकि बैंकों तथा सभी सहकारी बैंकों](#) पर लागू होंगे तथा 1 अप्रैल 2024 से करयिान्वति कयि जाँगे।

### नष्क्रिय खाते और अदावी जमा क्या हैं?

- नष्क्रिय खाता:**
  - दो वर्षों से अधिक समय तक कोई 'ग्राहक-प्रेरति लेन-देन' नहीं करने वाला खाता नष्क्रिय माना जाता है।
    - ग्राहक-प्रेरति वनिमिय, बैंक अथवा तीसरे पक्ष द्वारा खाताधारक के अनुरोध पर शुरू कयि गया अथवा पूरव में कयि गयन्नतितीय लेन-देन, एक गैर-वतितीय लेन-देन अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अथवा डजिटिल माध्यमों जैसे इंटरनेट बैंकगि अथवा बैंक के मोबाइल बैंकगि एप्लिकेशन [अपने ग्राहक को जानयि \(Know Your Customer- KYC\)](#) के माध्यम से अपडेट हो सकता है।
    - नष्क्रिय बैंक खातों में लगभग **₹1-1.30 लाख करोड** जमा होने का अनुमान है।
- अदावी जमा:**
  - 10 वर्षों से नष्क्रिय** बचत/चालू खातों में जमा राशि अथवा परपिक्वता के 10 वर्षों के बाद दावा नहीं कयि गएसीयादी जमा (Term Deposit) को अदावी नकिषेप माना जाता है।
  - मार्च 2023 तक बैंकों में लगभग **₹42,270 करोड** अदावी थे।

### संशोधति RBI दशानरिदेश क्या हैं?

- वार्षिकि समीकषा:**
  - बैंकों को उन खातों की वार्षिकि समीकषा करनी चाहयि जनिमें एक वर्ष से अधिक समय से कोई ग्राहक-प्रेरति वनिमिय नहीं हुआ है।
    - सावधकि जमा को नवीनीकृत करने के स्पष्ट आदेश के अभाव में बैंकों को ऐसे खातों की समीकषा करनी चाहयि।
    - ऐसी जमा राशयिों को **अनकलेमड/दावा न कयि जाने (Unclaimed)** से बचाने के लयि, बैंकों को उन खातों की जाँच करनी चाहयि जहाँ उपभोक्ताओं ने परपिक्वता अवधपूरी होने पर अपनी आय की नकिासी नहीं की है या उसे अपने बचत या चालू खाते में स्थानांतरति नहीं कयि है।
- संचार प्रोटोकॉल:**
  - बैंकों को नरिदेश दयिा गया है कवे पछिले वर्ष में परचालन की कमी के बारे में **खताधारकों को पत्र**, ईमेल या SMS के माध्यम से **सूचति करे**।
  - यदि अगले वर्ष कोई परचालन नहीं होता है तो अलर्ट संदेशों में खाते की आसनन 'नष्क्रयि' स्थति स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहयि।
  - ऐसे मामलों में ग्राहकों को पुनः सकरयिण के लयि नए **KYC दस्तावेज जमा करने** होंगे।
- नष्क्रयि खातों के लयि वर्गीकरण मानदंड:**

- वर्गीकरण के लिये केवल ग्राहक-प्रेरति वनिमिय पर वचिर कयिा जलतल है, न कल बैंक-प्रेरति वनिमिय पर ।
  - स्थायी नरिदेश यल बनिा कसिी अनूय परचलन के स्वतः नवीनीकरण जैसे अधदिशों को भी गुरलहक-प्रेरति वनिमिय मलनल जलतल है ।
  - बैंक-प्रेरति वनिमिय में भुगतलन शुल्क, शुल्क, बयलज भुगतलन, जुरमलनल और कर शलमलि हैं ।
- कसिी खलते कल नषिकुरयि खलते के रूड में वरगीकरण, गुरलहक के कसिी वशिष खलते के संदरूभ में हलग न कल गुरलहक के ।
- नषिकुरयि वरगीकरण से छूटः
  - सरकलरी योजनलओं के ललभलरूथयिों और छलतूरों के लयिे खले गल खलतों (शूनूय बैलेंस के सलथ) को कोर बैकगि सलमलधलन में डूथक कयिा जलनल चलहयि ।
    - यह सुनशिचति करतल है कदिे वरूष से अधकि समय तक खलते कल संचललन न होने के करलण 'नषिकुरयि' लेबल ललगू नही कयिा जलएगल ।
- डूनरूसकरयिन डुरकरयिः
  - नषिकुरयि खलतों को डूनः सकुरयि करने के लयिे KYC दसूतलवेज जमल करनल लवलशूयक है । यह डुरकरयि गुरैर-घरेलू शलखलओं सहति सभी शलखलओं डुर ललगू हलती है ।
    - खलतलधलरक दवलरल अनुरोध कयिे जलने डुर वीडियिे-गुरलहक डुरहचलन डुरकरयि (Video based Customer Identification Process - V-CIP) कल डुडूयग डूनः सकुरयिन के लयिे भी कयिा जल सकतल है ।
    - नषिकुरयि खलतों को सकुरयि करने के लयिे कसिी शुल्क की अनुडतल नही है ।
- दंड एवं बयलजः
  - नषिकुरयि खलते के रूड में वरगीकृत कसिी भी खलते में नूडूनतड शेष रलशनि बनलए रखने डुरबैंक दंडलतडक शुल्क ललगने के लयिे अधकिृत नही हैं ।
  - सरकलरी योजनलओं के ललभलरूथयिों और छलतूरों के लयिे खले गल खलतों (शूनूय बैलेंस के सलथ) को कोर बैकगि सलमलधलन में अलग कयिा जलनल चलहयि ।
    - यह सुनशिचति करतल है कदिे सलल से अधकि समय तक संचललन न होने के करलण 'नषिकुरयि' लेबल ललगू नही कयिा जलतल है ।
  - बचत खलतों डुर बयलज नयिडति रूड से जमल कयिा जलनल चलहयि, भले ही खलतल चलू हो यल नही ।
- जडलकरूततल शकिूषल और जलगरूकतल कोषः
  - बैंकों में खले गल कसिी भी जडल खलते में करेडटि शेष, जो दस सलल यल उससे अधकि समय से संचललति नही है, को बैंकों दवलरल रजिुरव बैंक ऑफ इंडयिा दवलरल बनलए गल जडलकरूततल शकिूषल और जलगरूकतल (Depositor Education and Awareness- DEA) कोष में स्थलनलंतरति करनल लवलशूयक है ।

## UPSC सवलिल सेवा डुरीकूषल, वगित वरूष के डुरशून

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

डुरशून. यदल आर.बी.आई. डुरसलरवलदी डुडुरकि नीतलकल अनुसरण करने कल नरिणूय लेतल है, तल वह नडिनलखिति में से कूयल नही करेगल? (2020)

1. वैधलनकि तरलतल को घटलकर उसे अनुकूलति करनल
2. सीडलंत स्थलयी सुवधि दर को बढलनल
3. बैंक दर को घटलनल तथल रेडु दर को भी घटलनल

नीचे दयिे गल कूट कल डुरयुग कर सही उतूतर चुनयि-

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उतूतरः (b)

**[?/?/?/?/?/?]:**

डुरशून. कूयल आड इस डत से सहडत हैं कल सिकल घरेलू उतूडलद की स्थलयी संवूदधतिथल नडिन डुदुरलसूडूति के करलण डुरलरतीय अरूथवूयवस्थल अचूछी स्थति में है? अडने तरूकों के सडरूथन में करलण दीजयि । (2019)